

हनुमानगढ़।

4. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, शाखा हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, शाखा हनुमानगढ़ टाउन।
5. श्रीमान तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. ए. बाबत घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण

निर्णय दिनांक :- ७३/१२/२०

वादी की ओर से श्री राजकुमार सहारण अधिवक्ता, प्रतिवादी 1 ता 3 की ओर से श्री सिकन्दर जमाला अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 31/12/20 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धार 88,188 आरटीए के अन्तर्गत वादी प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है कि:-

वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि चक 8 आरपी सहित तहसील हनुमानगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 खाता संख्या 28/27 के पत्थर नम्बर 166/364 (45) के किला नम्बर 21/2/0.228, 22 ता 25 कुल 1.240 हैक. नहरी कमाण्ड कृषि भूमि चक नम्बर 8 आर पी रहित हनुमानगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 23/21 के पत्थर नम्बर 166/366 (1) किला नम्बर 6 ता 9 सालम, 10/2/0.

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

228, 11/2 /0.228, 12 ता 19 सालम 20/2/0.228, 21/2/0.228, 22 सालम कुल 4.201 हैक. नहरी कृषि भूमि मय गैरमुमकिन खाला व इसी खाता के पत्थर नम्बर 166/367 (10) किला नम्बर 16/1 से 19/1 तक प्रत्येक में 0.152, 20/2/0.139, 21/2/0.203, 22/2 से 25/2 प्रत्येक में 0.228 कुल 1.862 हैक. नहरी व अनकमाण्ड कृषि भूमि इस प्रकार इस खाता में कुल 6.063 हैक. नहरी अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन प्रतिवादी संख्या 1 के बलराम के नाम के हिस्सा की कृषि भूमि में बलराम का नाम कलमजन कर विकान्त बेनीवाल को व चक 7 आरपी बी तहसील हनुमानगढ की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 15/13 के पत्थर नम्बर 164/357 (12) के किला नम्बर 1/2 की 0.202, 2 ता 9 सालम, 10/2/0.202, 11/0.202, 12 ता 15 सालम कुल 3.642 हैक. नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 3 कैलास देवी को खातेदार काशतकार घोषित करते हुए चक नम्बर 9 आर पी तहसील हनुमानगढ की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 69/53 के पत्थर नम्बर 163/363 (13) के किला नम्बर 11/1/0.127, 14, 15, 20, 21, 22 सालम 23/2/0.127 कुल 1.519 हैक. नहरी कृषि भूमि व इसी खाता में पत्थर नम्बर 164/366 (29) किला नम्बर 16 ता 19 सालम 20/2/0.228, 21/2/0.228, 22 ता 25 सालम कुल 2.480 हैक. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से यथावत खातेदारी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंच किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 23/11/20 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

मिलान किया
.....

(कृषि अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ